कार्यालय नगर पालिका परिषद् कोलार जिला–भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / 404 / भ.अ.शा / न.पा.प. / 2013 | कोलार, दिनांक 01 / 10 / 2013

कार्यालय नगर पालिका परिषद कोलार जिला–भोपाल

भवन निर्माण संबंधी अनुज्ञा–पत्र

(नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के अंतर्गत)

प्रति,
मेसर्स अग्रवाल इन्फ्राटेक पार्टनर संजीव अग्रवाल द्वारा मेसर्स अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन्स पार्टनर संजीव अग्रवाल खसरा क्रमांक 71/2, 71/3 कुल रकबा 8.00 एकड़ ग्राम दामखेड़ा कोलार, भोपाल

आपके आवेदन पत्र दिनांक 17/07/13 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 (3) अंतर्गत दिये प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भवन के निर्माण अथवा पुनः निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।

1. बरसाती पानी के भूमिगत जल संरक्षण (रैन वाटर हॉवेस्टिंग) का प्रावधान रखकर निर्माण किया जावे।
2. स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही कार्य निर्माण कार्य करें। स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध मौके पर परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा।
3. शौचालय सेप्टिक टेंक पद्धति का ही निर्माण करें। सादा शौचालय जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है निर्माण न किया जावें।
4. भवन का निर्माण समीपस्थ मकानों की निर्धारित पंक्ति से ही करें। पंक्ति से बाहर किसी प्रकार का प्रोजेक्शन न निकालें।
5. सड़क तथा नाली पर चबूतरा पटिये तथा अन्य किसी प्रकार का प्रोजेक्शन निर्माण न करें।
6. भवन की मौरियों का पानी पाईप द्वारा नीचे उतार कर नगर पालिका नाली में मिलावें।
7. सड़क तथा नाली पर मटेरियल एकत्रित न करें अन्यथा नगर पालिका द्वारा हटवा दिया जावेगा।
8. भवन में स्वच्छता एवं प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था रखी जावे।
9. भवन में ज्वलनशील अथवा आग पकड़ने वाले मटेरियल का निर्माण में उपयोग न करें।

निरन्तर...............2

10. यह स्वीकृति 3 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। इस अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर पुनः स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. नव निर्मित मकान का उपयोग निवास या अन्य कार्य हेतु नगर पालिका से दखल संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही उपयोग करें।

12. कम पानी वाले फ्लशिंग सिस्टम का प्रावधान रख निर्माण किया जावें।

13. राष्ट्रीय राजमार्ग/प्लानिंग मार्ग से निर्धारित दूरी रखकर कार्य करें।

14. यह अनुज्ञा किसी शासकीय एवं अशासकीय विवाद की स्थिति में स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

15. पर्यावरण को बचाने हेतु वृक्ष अवश्य लगायें।

16. सीव्हेज डिस्पोजल हेतु संस्था को सीव्हेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की व्यवस्था भवन निर्माण के साथ–साथ करना होगा।

17. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु आंतरिक प्रबंधन पूर्ण रूप से प्रोजेक्ट संचालन कर्ताओं का रहेगा। शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

18. पार्किंग प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप रहेंगे।

19. इलेक्ट्रिक लाईन के नीचे एवं क्षैतिज दूरी का पालन नहीं करने पर निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

20. भवन का अधिकतम एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज तथा अधिकतम ऊंचाई नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा जारी पत्र अनुसार मान्य होगा। नियोजन के अन्य समस्त मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखानुसार ही रहेंगे।

21. शासकीय भूमि अथवा नदी, नाले एवं शासकीय मार्ग के सीमांकन पश्चात कार्य प्रारंभ करें। उक्त भूमि अवरूद्ध किये जाने की दशा में भवन अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

यह अनुज्ञा अन्य व्यक्तियों के भू–स्वामित्व संबंधी अधिकारों का रक्षण करते हुये प्रदान की जाती हैं।

संलग्नः– स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, कोलार
जिला–भोपाल (म.प्र.)

C.M.O.
Nagar Palika
Kolar